नियम एवं शर्ते Terms & Conditions

जवाहर नवोदय विद्यालय, नवसारी, अमरावती द्वारा संलंग्न सूची के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न सामग्री खरीदने हेतु मुहरबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदाये विद्यालय के कार्यालय मे दिनांक 28.09.2021 तक शाम 5.00 बजे तक जमा करनी होगी। निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों मे ".....सामग्री के लिये निविदा" लिखा होना चाहिए।

- विद्यालय द्वारा दी गई सूची में ही दर / भाव लिखने होंगे। निविदा में दिये गए दर/भाव सभी करो सिहत रहेंगे। समस्त सामग्री विद्यालय में पहुचाकर देनी होगी। अलग से किसी भी प्रकारका कर या वाहन खर्च विद्यालय दवारा देय नहीं होगा।
 - The rate/price should be written only in the rate list which is supplied by the Vidyalaya. The rate/ price should be included of all taxex. All the materials should be FOR to Vidyalaya. No any tax or transporting charge will be paid by the Vidyalaya.
- 2) निविदा में किसी भी प्रकार की काटछाट नहीं होनी चाहिये। निविदा साफ सुथरे अक्षरों एवं अंको में होनी चाहिये। खाद्य सामग्री आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन करने के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है | In the rate should be written in the rate list should be clean and clear. Any kind of omission or overwriting should not be accepted and the said tender will be rejected. With due regard to supplies of food items by the suppliers, must comply with the Food Safety and Standards Act, 2006 and must submit the certificate issued from the competent authority.

Page 1 of 8

According to the attached list and need basis, some samples (Specimen) of the materials are required at the time of opening of tender. If the tender approved, the materials must be supplied as per the sample submitted by the tenderer.

- 4) विद्यालय कम भाव वाली निविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। यह सामग्री की गुणवता के आधार पर विद्यालय क्रय समिति द्वारा तय किया जायेगा। इसके अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित है।

 The Vidyalaya is not bound to accept the lowest rate tender. The Vidyalaya Committee will be decided on the base of the quality of materials which will be purchased. In this regard the Vidyalaya reserve the rights.
- 5) फर्नीचर सप्लाई के सम्बन्ध में प्रत्येक फर्नीचर के ऊपर लेबल लगाना होगा जिसमे आपूर्तिकर्ता/ दुकान का नाम तथा फर्नीचर बनाने की तारीख अंकित करनी होगी | In respect to supply of furniture items, label should be fixed by the supplier on each furniture with name of the firm and date of making of furniture.
- 6) निविदा मे दर्शीये गये अमानत राशी का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती के नाम से होना चाहिये। चेक एवं नगद राशी स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना अमानत राशी वाली निविदा निरस्त की जायेगी।

The EMD amount shown in the tender should be in the name of **Principal**, **Jawahar Navodaya Vidyalaya**, **Amravati payable at Amravati** through Demand Draft. Cash or cheque should not be accepted. The tender liable to be rejected without demand draft of EMD amount.

- 7) निविदा स्वीकृत होने पर, केन्द्र सरकार के सामान्य वितीय नियम के अनुसार निविदादाता बंधनकारक हाँगे।
 The tender is approved, will be binding with bidder according to the General Financial Rules of the Central Government.
- 8) निविदा स्वीकृति के बाद निविदादाता को 10% सुरक्षा राशी विद्यालय मे जमा करनी होगी जिसमें अमानत राशी भी समायोजित की जायेगी। निविदा की कालाविध पूर्णता समाप्त होने पर छह (06) माह बाद ही सुरक्षा राशी वापिस की जायेगी। इसके लिये किसी भी प्रकारका ब्याज विद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत होने पर, सप्लाई नहीं करने की स्थिती मे आपकी अमानत राशी/सुरक्षा राशी जप्त की जा सकती है तथा सामान्य वितीय नियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। After approved of tender, bidder must deposit 10% security amount to the Vidyalaya in which will be adjusted with EMD. After Six (06) month from the completion of the tender Period, the security amount will be refunded. For this act, any type the interest shall not be payable by the Vidyalaya. After accepting the Tender, the tenderer not able to supply the items to the Vidyalaya, in this situation the Security Amount/EMD will be forfeited and can be processed according to the General Financial Rules.
- 9) निविदा स्वीकृत होने पर अगर निविदादाता द्वारा तय समयसीमा के अन्दर सामग्री सप्लाई नहीं की जाती है ऐसे स्थिति में आवश्यकतानुसार खुले बाजार से सामग्री खरीदी की जायेगी एवं अन्तर की राशी निविदादाता के सुरक्षा राशी में से काटी जायेगी। अथवा तय समयसीमा के बाद सामग्री सप्लाई की जाती है तो ऐसे स्थिति में कुल भुगतान से 1% प्रतिमाह की दर से राशी काट ली जायेगी।

date/deadline, such materials/items shall be purchased from the open market by the Vidyalaya and difference amount if any will be deducted from the SD/EMD. If the bidder supplied the materials/items after the due date/deadline in such a situation 1% per month amount for the total supply will be deducted from the payment.

- 10) खरीदी की जाने वाली सामग्री की मात्रा कम या जादा करने का अधिकार विद्यालय के पास रहेंगे।
 The Vidyalaya is reserve the right to reduce or increase the quantity of the items which will be purchased.
- 11) आपूर्ती आदेश के अनुसार एवं दिए गए नमूने के अनुसार ही सामग्री सप्लाई करनी होगी। आपूर्ती आदेश के अनुसार सामग्री नहीं होने की स्थित में विद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा इसके लिये किसी भी प्रकारका भुगलान अथवा वाहन खर्च विद्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा।

 Materials should be supplied according to the supply order and sample. If the materials not supplied according to supply order and sample will not be accepted by the Vidyalaya and any payment or transporting charges will not be paid by the Vidyalaya.
- 12) स्वीकृत निविदा की दर दिनांक 30.04.2022 तक लागु रहेंगे जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक या दो माह के लिये आगे बढाया जा सकता है जो निविदादाता को बंधनकारक रहेगा। स्वीकृत दरों में सप्लाई समाप्ति तक किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा। पैकिंग सामग्री में समय समय पर कंपनी द्वारा दी गई फी गिफ्ट विद्यालय को देनी होगी।

 Approved tender rate should effective up to 30.04.2022. If any need basis it will be extended for one or two months which will be binding to supplier. Tender rate once approved, any changes will not be accepted until the end of the tender. The free gift will be given to the Vidyalaya with the materials, if company declared time to time.
- 13) सामग्री सप्लाई के बाद साधारणता 10 से 15 दिन के अन्दर बिल का भुगतान सार्वजनिक वितीय प्रणाली के माध्यम से सीधे सप्लायर के खाते में जमा किया जायेगा तथा इसमें शासन द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो आपूर्तिकर्ता को मान्य रहेगा। इसके लिये सप्लायर द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक खाता क्रमांक, बैंक का पता, IFS Code, मोबाईल नंबर आदि विद्यालय को देना होगा।

 The payment of the bill will be made to the suppliers bank account directly through Public Financial Management Systems (PFMS) within 10 to 15 days after supplied of the materials.

 If any changes by the Government will be accepted by the suppliers. For this purpose the supplier should provide Nationalised Bank Address, Bank Account Number, IFS Code, Mobile Number etc. to the Vidyalaya.
- 14) निविदा दिनाक 29.09.2021 को सुबह 11.30 बजे विद्यालय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्रक्रिया तकनिकी एवं वितीय तौर पर पूरी की जायेगी।

 Tender will be opened on 29.09.2021 at 11.30 am in the presence of Purchase Advisory Committee and the tender process will be completed by the committee on the technically and financially.

	अमरावती रहेगा।	
/	The Vidyalaya reserves the right to cancel the tender and for the be Amravati City.	all disputes jurisdiction will
	oe Amavati City.	
	Place स्थान :- Amravati अमरावती	(ससीन्द्रन सी.के.)
	Date दिनांक :	(Saseendran C.K.)
		प्राचार्य PRINCIPAL
	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 15 तक सभी शर्ते मुझे मंजूर है ।	
	I accepted the terms & conditions as point number 1 to 15 mentioned above.	
	इसके साथ अमानत राशी रुपयेका डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक संलंग्न
	曹1	
	Enclosed EMD amount vide demand draft	
	NumberDateRs	
	निविदादाता के हस्ताक्षर Signature of Tenderer :	
	नाम और पता Name & Address :	
	रबड़ की मुहर तथा दिनांक Rubber stamp & Date	

पानकार विष्याचान के कारा पुरावात रहेगा तथा समस्त ।ववादा का न्यायक्षत्र